



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 06.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Vijay Pal Singh Tomar** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 894 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

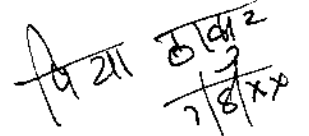
S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	ARJUN MADHUR	NEERAJ MADHUR, MOB- 9008525990	1	GREATER NOIDA
2	VASU TAKSALIYA	PINTU, MOB- 9690763711, 8057155556	VIII	PUNJAB LINES MEERUT CANTT
3	JAHAVI SHARMA	RAVINDRA KUMAR, MOB- 7016507221, 9761998878	VI	DOGRA LINES, MEERUT CANTT
4	SIDDARTHA	ANIL KUMAR, MOB- 9259058177	VIII	ETAWAH
5	YATHARTH MALIK	LATE SH. SHEKHAR MALIK, MOB- 8954098390	I	DOGRA LINES, MEERUT CANTT
6	PRISHA SINGH	SANJAY SINGH, MOB- 9752599029	IX	SEC-24 NOIDA
7	AVIRAL SINGH RANA	JITENTRA SINGH RANA, MOB- 9456262664	I	DOGRA LINES MEERUT CANTT
8	DEV MALIK	DHYAN SINGH MALIK, MOB- 9899574412	V	DOGRA LINES MEERUT CANTT
9	AKRITI GUPTA	SACHIN GUPTA, MOB- 9720064463, 9720064520	IV	PUNJAB LINES, MEERUT CANTT
10	AYAM IMRAN	LATE IMRAN UL HAQ, MOB- 8630429843	VII	PUNJAB LINES, MEERUT CANTT

पिवा ठाकुर
 7/8/20

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Vijay Pal Singh Tomar माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, AGRA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)